न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

पेशल संख्या:– 288 / 2021 निर्णय दिनांक :–04.03.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. शांति पत्नि राजू चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. अनिषा पुत्री राजू चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. मनोज पुत्र राजु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता शांति पत्नि राजू चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. जीवकंवर पत्नि करणीदान चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. खुशराजसिंह पुत्र करणीदान चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. टम्पू पुत्र रमेश–माता दीपकंवर चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. युवराज पुत्र रमेश–माता दीपकंवर चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रामकंवर पुत्री करणीदान चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. लवराजसिंह पुत्र करणीदान चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. ईश्वरदान पुत्र गोकलदान चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. गंगादान पुत्र गोकलदान चारण निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. दुर्गादान पुत्र गोकलदान निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. भूलाकंवर पुत्री गोकलदान निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. शंकरदान पुत्र गोकलदान निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. सायरकंवर पुत्री गोकलदान निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
13. तहसीलदार देवली
14. उपपंजीयक नासिरदा
15. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थांवला तहसील देवली जरिये शाखा प्रबंधक

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री अनिल चौहान
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6
इकबालिया जवाब
अप्रार्थीगण संख्या 7,9 व 11
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 10 व 12

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 1175, 1179, 1195, 1265, 1296, 1297, 1298 किता 7 रकबा 3.9000 है0 ग्राम थांवला तहसील देवली प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 ता 6 के नाम {राजू पुत्र करणीदान के मरने के कारण} उसके स्थान पर प्रार्थीगण उसके वारिसान के रूप में सम्पूर्ण भूमि के खातेदार है, ख0नं0 1106, 2069, 2102, 2103, 2104, 2125, 2126, 869, 871, 950, 957 किता 11 रकबा 4.2400 है0 ग्राम थांवला में स्थित है जो पक्षकारान के नाम {राजू पुत्र करणीदान मृतक} कू नाम दर्ज है। करणीदान का सजरा निम्न प्रकार है :–

करणीदान

कानकंवर	जीवकंवर
मृतक	प्रतिवादी नं0 1
विवाहिता पत्नी	जीवित
	प्रतिवादी नं0 2 ता 6

उक्त सजरे के अनुसार करणीदान के विवाहित पत्नी कानकंवर थी जिससे उत्पन्न संतान एक मात्र पुत्र राजू थाजो मर चुका है, उसके वारिसान प्रार्थीगण है जो करणीदान के द्वारा छोडी हुई समस्त भूमियो के एक मात्र खातेदार व काबिज काश्तकार है, कानकंवर के जीवित काल में करणीदान ने प्रतिपक्षी नं0 1 को {पालरखी} थी अर्थात प्रतिपक्षी नं0 1 करणीदान की रखैल थी, हिन्दू उत्तराधिकारी प्रावधानों के अनुसार रखैल का करणीदान की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है, प्रतिपक्षी नं0 1 ता 6 जीवकंवर से जो कि रखैल थी, उत्पन्न संताने है जिसमें प्रतिपक्षी नं0 3 व 4 दीपकंवर के देहान्त के कारण उसके वारिसान है। करणीदान के देहान्त के बाद उसके द्वारा छोडी हुई पैतृक कृषि भूमि गलत रूप से सभी को उसके वारिसान मानकर नामान्तकरण तसदीक कर दिया उसके अनुसार उक्त वर्णित भूमियों किता 7 रकबा 3.9000 है0 में प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा तथा खाता सं0 593 सम्वत् 2074 व खाता सं0 592 में प्रत्येक का 1/142–142 दर्ज कर दिया इस प्रकार राजू पुत्र करणीदान का हिस्सा 1/6 व हिस्सा 1/142 गलत रूप से दर्ज किया गया है जबकि वह करणीदान की विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान होने से करणीदान के बाद सम्पूर्ण भूमियों की खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है। खाता सं0 592 में करणीदान के भाई गोकलदान के वारिसान का प्रत्येक 1/7–1/7 हिस्सा है उनके हिस्से का कोई विवाद नही है, गोकलदान के वारिसान सहकृषक होने से उनको प्रतिपक्षी नं0 7 ता 12 बनाया गया है जिनका कोई विवाद नही है, प्रस्तुत वाद प्रार्थीगण ओर से राजू पुत्र करणीदान के स्थान पर तथा उसके नाम हिस्सा 1/6 व हिस्सा 1/142 के स्थान पर करणीदान द्वारा छोडी हुई वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमियों के खातेदार एवं काबिज काश्तकार प्रार्थीगण होने से तथा प्रार्थीगण ही खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा प्रतिपक्षी नं0 1 ता 6 के नाम हटाने के लिए वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिपक्षी नं0 1 ता 6 का मौके पर कब्जा काश्त नही है परन्तु वह बिना किसी अधिकार के वादग्रस्त भूमियों पर कब्जा करने, प्रार्थीगण को बेदखल करने तथा अन्य के हक

में भूमियों को रहन, दान, बेचान करने पर आमादा है जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि वह करणीदान की रखैल/अवैध पत्नी से उत्पन्न संताने है जिनका भी वादग्रस्त भूमियों में कोई हक नहीं है क्योंकि यह भूमि पैतृक है तथा करणीदान की स्वयं की बनायी हुई नहीं है इस कारण रिकोर्ड में से प्रतिपक्षी नं0 1 ता 6 का नाम हटाये जाने योग्य है तथा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वें स्वयं, या अन्य के माध्यम से उक्त कृत्य नहीं करे अन्यथा प्रार्थीगण को अपार हानि होगी ओर कई प्रकार की मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबंद किया जावें कि वह स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर या अन्य के माध्यम से भूमियों से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे भूमि को अन्तरण/खुर्दबुर्द नहीं करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 8 ने वाद की आदशिका पर हस्ताक्षर लिखा है कि कोर्ट को फैसला मान्य है।

प्रतिवादी संख्या 10 व 12 के बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादी संख्या 7, 9 व 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को स्वीकार करते हुए इकबालिया जवाब पेश किया ।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द जैन ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– अप्रार्थीगण 1 ता 6 ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थना पत्र का चरण नं0 1 में वादीगण के द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं है। अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण नं0 1 ता 6 के पक्ष में प्रबल एंव सिद्ध है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 2 में वर्णित कृषि भूमि का ख0न0 1175, 1179, 1195, 1265, 1296, 1297, 1298 कुल किता 7 कुल रकबा 3.90 है0 वाके तनग्राम थांवला में स्थित भूमि अप्रार्थीगण नं0 1 ता 6 व प्रार्थीगण के पति व पिता राजू के नाम होना स्वीकार है तथा आराजी ख0न0 1106, 2069, 2102, 2103, 2104, 2125, 2126, 869, 871, 950, 957 वाके तनग्राम थांवला में स्थित होना व अप्रार्थीगण नं0 1 ता 12 के नाम होना स्वीकार है। परन्तु प्रार्थीगण के पति व पिता राजू का नाम गलत अंकन हो रखा है। स्पष्टीकरण विशेष आपतियों में दर्ज है। अप्रार्थीगण नं01 ता 6 ही करणीदान के विधिक वारिसान है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 3 में वर्णित सजरे के अनुसार करणीदान के द्वारा प्रथम विवाह कान कंवर के साथ करना स्वीकार है, परन्तु जीवकंवर को रखेल बताना गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थी नं0 1 करणी दान की द्वितीय विधिवत विवाहित पत्नी है तथा अप्रार्थीगण नं0 2 ता 6 जीवकंवर व करणीदान के विधिक वारिसान है। सजू नाम व्यक्ति करणीदान का वारिस नहीं है। स्पष्टीकरण विशेष आपतियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 4 पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण का पति व पिता राजू करणीदान की विधिक संतान होने के कथन पूर्णतया गलत है। क्योंकि करणीदान की प्रथम विवाहित पत्नी कानकंवर विवाह के कुछ समय बाद ही करणीदान से अपने वैवाहिक संबंध तोडकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई थी।

प्रार्थीगण का पति व पिता राजू करणीदान की संतान नहीं है। इस कारण राजू व उसके वारिस अर्थात वादीगण को करणीदान के हिस्से प्रार्थना पत्र में वर्णित की कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त होने के अधिकार प्राप्त नहीं थें। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 5 आंशिक रूप से स्वीकार है, परन्तु प्रार्थीगण का पति व पिता राजू पुत्र करणीदान होना व राजू का करणीदान से कोई संबंध व वारिस होना पूंर्णतया गलत है, इस कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। स्पष्टीकरण विशेष आपतियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि में अप्रार्थीगण नं0 1 ता 6 अपने पति, पिता व नाना करणीदान की हिस्से की भूमि पर पूर्ण रूप से निरंतर काबिज चले आ रहे है। जबकि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का पति व पिता राजू कभी भी ग्राम थांवला में नहीं रहे है और ना ही भूमि पर काबिज रहे है। वर्तमान में भी अप्रार्थीगण नं0 1, ता 6 करणीदान के हिस्से की संपूर्ण भूमि पर बतौर विधिक वारिसान खातेदार काबिज–काश्तकार है। वादीगण के पति व पिता राजू का नाम गलत अंकन हुआ है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण नं01 ता 6 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। स्पष्टीकरण विशेष आपतियों में दर्ज है। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीगण नं0 1 ता 6 के पति, पिता व नाना करणीदान ने अपने जीवनकाल में प्रथम विवाह कान कंवर नामक महिला से किया था। परन्तु उक्त नामक महिला कांनकंवर विवाह के कुछ माह बाद ही अप्रार्थीगण नं0 1 ता 6 के पति, पिता व नाना करणीदान से अपने वैवाहिक संबंध तोडकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई थी तथा उसके साथ बतौर पत्नी बनकर रहने लग गई थी। अप्रार्थीगण नं 1 ता 6 के पति, पिता व नाना करणीदान की पहली पत्नी कानकंवर के भाग जाने के बाद करणीदान ने विधि विधान से एंव परिवारजन, रिश्तेदारान व मौतवीर लोगों की उपस्थिति में हिंदू धर्म के रिति–रिवाजों के अनुसार एंव सामाजिक रिति–रिवाजों के अनुसार अप्रार्थी नं0 1 के साथ सप्तपदी से विवाह किया था। अप्रार्थी नं. 1 व करणीदान के दाम्पत्य संबंधों से अप्रार्थी नं 2 पुत्र खुशराज सिंह, लवराजसिंह, पुत्रिया दीपकंवर रामकंवर उत्पन्न हुए जिनमें दीपकंवर की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थीगण नं 3 व 4 दीपकंवर के विधिक वारिस है। इस प्रकार अप्रार्थीगण नं 1 ता 6 ही करणीदान के विधिक वारिस, उतराधिकारीगण है। प्रार्थीगण का पति व पिता राजू अप्रार्थीगण नं 1 ता 6 के पति, पिता व नाना करणीदान व कानकंवर के दाम्पत्य संबंधों से उत्पन्न नहीं हुआ है और ना ही राजू पुत्र करणीदान का जन्म ग्राम थांवला में हुआ है। प्रार्थीगण का पति व पिता राजू करणीदान का पुत्र वारिस उतराधिकारी होना पूर्णतया गलत है। करणीदान की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के पति व पिता राजू का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों ने गलत अंकन कर दिया है। प्रार्थीगण का पति व पिता राजू व स्वयं प्रार्थीगण कभी भी ग्राम थांवला में नहीं रहें है और ना कभी स्व0 करणीदान के हिस्से की भूमि पर काबिज रहें है। जबकि प्रार्थीगण करणीदान के समय से ही संपूर्ण भूमि पर काबिज रहे है तथ वर्तमान में करणीदान के संपूर्ण हिस्से की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर बतौर खातेदार काबिज–काश्तकार है तथा उपयोग–उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण व इनका पिता व पति राजू वाद वर्णित भूमि में करणीदान के हिस्से की भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग पर काबिज

नहीं रहे है। अप्रार्थीगण विधिवत रूप से स्व0 करणीदान के विधिक वारिस होने के कारण ही करणीदान के हिस्से की संपूर्ण भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण राजू के गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाकर अब राजू की मृत्यु के बाद स्वंय का राजू व करणीदान का विधिक वारिस बताकर अवैध रूप से नामान्तकरण खुलवाकर अप्रार्थीगण नं 1 ता 6 को उनके वैधानिक अधिकारो महरूम करना चाहते है। इस कारण ही प्रार्थीगण के द्वारा गलत तथ्य वर्णित करते हुए एवं सही तथ्यो को जानबूझकर छिपाते हुए प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण नं 1 ता 6 ही करणीदान के विधिक वारिस है। यदि प्रार्थीगण के पति व पिता राजू व प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का खातेदार उद्घोषित कर दिया जाता है और अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जाता है तो वह नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होगा और अप्रार्थीगण नं. 1 ता 6 को अपार हानि होगी एंव प्रार्थीगण अपन अवैध मकसद में कामयाब हो जायेंगे। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथो से न्याय प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि कानकंवर, करणीदान की जायज पत्नी थी जिसकी एक मात्र संतान राजू था जो फौत हो गया। प्रार्थीगण करणीदान के जायज वारिसान है। जिसके अनुसार खाता संख्या 593 सम्पूर्ण व खाता संख्या 592 में प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा होना चाहिए जबकि राजू पुत्र करणीदान का 1/6 व 1/142 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया। अप्रार्थीगण ने चरण नं. 3 में स्वीकार किया है कि कानकंवर करणीदान की प्रथम पत्नी है। यदि राजू कानकंवर की संतान नहीं है तो अप्रार्थीगण को यह सिद्ध करना चाहिए। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 (i), (iv), (v) पेश किया जिसके अनुसार प्रथम विवाह बाद यदि दूसरा विवाह किया है तो वह वोइड है। अधिवक्ता प्रार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दृष्टान्त पेश किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे व जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को हुबहु दोहराते हुए कथन किया कि करणीदान की प्रथम पत्नी छोड़कर चली गई थी इसलिए दूसरा विवाह विधि अनुसार मान्य है। राजू चारण की मृत्यु 2009 में हो गई थी जबकि कान कंवर की मृत्यु 2014 में हुई है। प्रार्थीगण थांवला में निवास नहीं करते है। राजू का मृत्यु प्रमाण पत्र भी चुरू का है। प्रार्थीगण थांवला के निवासी नहीं है । सभी तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिविरूद्ध है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण अनुसार प्रार्थीगण करणीदान के जायज वारिसान है जिससे से खाता संख्या 593 सम्पूर्ण व खाता संख्या 592 में 1/6 के अधिकारी है। जबकि अप्रार्थीगण के अनुसार राजू

करणीदान की संतान नहीं था, वह अवैध संतान था । राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 592, 593 वाके ग्राम थांवला का अवलोकन करने पर स्पष्टतया राजू पुत्र करणीदान सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण ने राजू करणीदान की जायज संतान नहीं थी, इसके सम्बन्ध में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया है। राजू करणीदान की जायज संतान थी इसका निर्णय नियमित वाद में साक्ष्य, सबूत व गवाह से हो सकेगा। वर्तमान में सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दू व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है। प्रार्थीगण का पिता राजू पुत्र करणीदान वाद वर्णित विवादित आराजी में सहखातेदार की हैसियत रखने से अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वे वाद वर्णित आराजी खाता संख्या 593 व 592 वाके ग्राम थांवला में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा व मजामहत उत्पन्न नहीं करे और जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर बेदखल नहीं करे तथा वे स्वयं, जरिए नौकर, एजेन्ट या अन्य किसी माध्यम से अन्तरण/खुर्दबुर्द नहीं करे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली